बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः–बी–129/2018 1251 पटना, दिनांक 26 मई, 2020 ई0।

प्रेषक

आलोक कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी,
बिहार राज्य।

विषयः– **मांग सं0–06, मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न लघु/उपशीर्षों एवं इकाईयों में आवंटित राशि के ए०सी० विपत्र पर निकासी कर किये गये व्यय के समायोजन की कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंगः– **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव, निर्वाचन विभाग का पत्रांक–बी–129/2018–250 दिनांक–17.01.2020.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में मांग सं0–06, मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन अंतर्गत विभिन्न लघु/उपशीर्ष/इकाईयों में राशि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित राशि में से विभिन्न निर्वाचनों के निमित्त वित्त विभागीय आदेशों/विभागीय आदेशों के फलस्वरूप राशि की अग्रिम रूप से कोषागार से निकासी (ए०सी० विपत्र पर) करते हुये उसका व्यय किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–194(i) के प्रावधानों के आलोक में लंबित सभी डी०सी० विपत्रों का सामंजन महालेखाकार कार्यालय से नियमानुसार छः माह के अंदर करा लिया जाना है, परन्तु विभागीय पत्रांक–250 दिनांक–17.01.2020 द्वारा इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–20.01.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने के निदेश के उपरांत भी अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि मांग सं0–06, मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न लघु/उपशीर्षों एवं इकाईयों में आवंटित राशि के ए०सी० विपत्र पर निकासी कर किये गये व्यय के समायोजन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

Ahd 22.5.2020

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

ज्ञाप संख्या :– 1251 पटना, दिनाक 26 मई, 2020 ई0।

प्रतिलिपिः– सभी उप/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि विषयांकित मामले में व्यक्तिगत रूप से संज्ञान करते हुये इस संबंध में ससमय निश्चित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

Ahd 22.5.2020

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

ज्ञाप संख्या :– 1251 पटना, दिनाक 26 मई, 2020 ई0।

प्रतिलिपिः– श्री अभिषेक कुमार, आई०टी० मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को निर्वाचन विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ahd 22.5.2020

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"